न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./3392/2002/भरतपुर

1. ग्राम पंचायत भैसीना, पंचायत समिति वैर जरिये सरपंच श्री दख सिंह पुत्र श्री माँगीलाल जाति मीना निवासी भैसीना तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. श्री बच्चू सिंह पुत्र श्री लालाराम जाति जाट
3. श्री श्री रामबाबू पुत्र श्री सम्पत सिंह जाति जाट
4. श्री सुगर सिंह पुत्र श्री हरीचरण जाति जाट
5. श्री हरी सिंह पुत्र श्री पांच्या सिंह जाति जाट
6. श्री रामखिलाड़ी पुत्र श्री सूका जाति जाट
7. श्री श्री रामचरण पुत्र श्री चिरमोल जाति गुर्जर

समस्त निवासीगण भैसीना तहसील वैर जिला भरतपुर।

..अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री गंगाशरण पुत्र श्री नत्थी सिंह जाति जाट निवासी भैसीना तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार।

.. उत्तरदातागण

खण्ड पीठ
श्री बजरंग लाल शर्मा, सदस्य
श्री बी.एल.गुप्ता, सदस्य

उपस्थित
श्री भवानी सिंह : अधिवक्ता अपीलार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 15/5/2012

अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अंतर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री 21/6/2002 (अपील संख्या 33/2001) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. हस्तगत अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता श्री गंगाशरण ने सहायक कलेक्टर, वैर (जिला भरतपुर) के न्यायालय में राज्य शासन के विरूद्ध एक अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का नियमित वाद प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवादित भूमि गैर मुमकिन पोखर के रूप में दर्ज है। परीक्षण न्यायालय के इस निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर श्री गंगाशरण द्वारा प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 21/6/2002 को स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 509 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा ग्राम भैसीना तहसील वैर का श्री गंगाशरण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर संबंधित ग्राम पंचायत एवं कतिपय अन्य व्यक्तियों द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकपक्षीय बहस इस प्रकरण में सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का बहस में कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय स्पष्टतः विधि विरूद्ध है क्योंकि नदी, नाला, तालाब एवं पोखर आदि की भूमि पर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। उन्होंने कथन किया कि खसरा नम्बर 509 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा ग्राम भैसीना राजस्व अभिलेखों में पोखर के रूप में दर्ज है तथा मौके पर भी यह भूमि स्थानीय ग्रामवासियों के नहाने–धोने व मवेशियों के पानी पीने के उपयोग में आती है। उनका कथन है कि इस पोखर की खुदाई व तालाब की मरम्मत का कार्य भी समय–समय पर राज्य सरकार एवं ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता रहा है अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए उत्तरदाता के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से डिक्री पारित की है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अब्दुल रहमान बनाम राज्य शासन की लोकहित याचिका में भी माननीय उच्च न्यायालय ने नदी, नाले एवं तालाब की भूमियों पर किये गये आवंटनों को निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जावे एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी का विधि विरूद्ध निर्णय अपास्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में यह एक निर्विवाद स्थिति है कि उत्तरदाता श्री गंगाशरण ने सहायक कलेक्टर, वैर के न्यायालय में दिनांक 4/2/97 को एक नियमित वाद राज्य सरकार के विरूद्ध अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम भैसीना सम्वत 2051 से 54 में खसरा नम्बर 509 की 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि किस्म

पोखर दर्ज है। इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई विवाद्यक निर्धारित नहीं किये गये हैं क्योंकि राज्य सरकार की ओर से न तो जवाब प्रस्तुत किया गया है, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। परीक्षण न्यायालय ने यह स्पष्ट अभिमत प्रकट किया है कि सम्वत 2051–54 की जमाबन्दी में विवादित भूमि गैर मुमकिन पोखर मकबूजा सरकार दर्ज है तथा वादी केवल अतिक्रमी के रूप में काबिज है अतः उसे किसी प्रकार के खातेदारी अधिकर नहीं दिये जा सकते।

7. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस प्रकरण में यह अभिमत प्रकट किया है कि विवादित भूमि साबिक बन्दोबस्त में गैर मुमकिन पोखर होकर श्री मागीलाल एवं श्री राम प्रसाद की मिल्कीयत में दर्ज है तथा उन्हें राजस्थान जमींदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 6 के अनुसार उन्हें खातेदारी प्राप्त हो गई है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इसे सामुदायिक उपयोग की भूमि नहीं मानते हुए सिवाय चक भूमि के रूप में विवादित भूमि के इन्द्राज को गलत मानकर वादी को विवादित भूमि की खातेदारी प्रदान की है।

8. परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत जामाबंदी सम्वत 2051–54 (प्रदर्श–1) एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2051–2053 (प्रदर्श–2) प्रस्तुत किये गये हैं तथा अपने पक्ष में तीन गवाहों के बयान करवाये हैं। परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मोखिक सक्ष्यों से वादीगण प्रश्नगत भूमि पर मात्र अतिक्रमी बताया गया है तथा उनका कब्जा विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से भी साक्ष्य से समर्थित नहीं है क्योंकि वादीगण ने सम्वत 2012 से दावा प्रस्तुत करने की तिथि तक की कोई भी खसरा गिरदावरी एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 91 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा जारी किये गये नोटिस आदि की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि उनका विवादित भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध हो सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनिमय की धारा 16 के अंतर्गत गैर मुमकिन तालाब, पोखर, नदी एवं नाले आदि की भूमि पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती।

9. विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी का जमींदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम से संबंधित विवादित भूमि को मानकर अपीलार्थी के पक्ष में खातेदारी अधिकार घोषित किये हैं। उन्होंने यह भी माना है कि प्रश्नगत भूमि पर श्री रामप्रसाद का कब्जा तथा श्री रामप्रसाद भूमि अधिकारी के रूप में 2014 में दर्ज था तथा अपीलार्थी श्री गंगाशरण श्री रामप्रसाद का भाई है। यद्यपि परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय में ऐसी कोई साक्ष्य व प्रमाणित वंशावली प्रस्तुत नहीं हुई है जिसके आधार पर श्री रामप्रसाद एवं श्री गंगाशरण का खून का रिश्ता सिद्ध हो सके। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से गैर मुमकिन पोखर के रूप में दर्ज भूमि पर उत्तरदाता श्री गंगाशरण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं, जिनका कोई विधिक औचित्य नहीं है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई

यह सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग मात्र है।

10. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के मामले से संबंधित लोक हित याचिका में निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

> **All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.**
> **----In the Government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the Government. "**

11. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में गैर मुमकिन पोखर की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि एक सामुदायिक भूमि है जो स्थानीय ग्रामवासियों के नहाने–धोने व पशुओं के पानी पीने के काम में आती है। सामुदायिक भूमि का किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने या नियमित किये जाने की कार्यवाही सामुदायिक हितों पर कुठाराघात है। इस प्रकरण में स्थानीय ग्राम पंचायत व स्थानीय लोगों ने भी विरोध प्रकट किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य के प्रकरण (2011 आर.एल.डब्ल्यू. 1389) में यह अभिनिर्णीत किया है :–

> **We find no merit in this appeal. The appellants herein were trespassers who illegally encroached on to the Gram Panchayat land by using muscle power/money power and in collusion with the officials and even with the Gram Panchayat. We are of the opinion that such kind of blatant illegalities must not be condoned. Even if the appellants have built houses on the land in question they must be ordered to remove their constructions, and possession of the land in question must be handed back to the Gram Panchayat. Regularizing such illegalities must not be permitted because it is Gram Sabha land which must be kept for the common use of villagers of the village. The letter dated 26.9.2007 of the Government of Punjab permitting regularization of possession of these unauthorized occupants is not valid. We are of the opinion that such letters are wholly illegal and without jurisdiction. In our opinion such illegalities cannot be regularized. We cannot allow the common interest of the villagers to suffer merely because the unauthorized occupation has subsisted for many years.**

12. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में यह न्यायालय विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री को विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पाता है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील एतद स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। विद्वान उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31/7/2001 पुष्ट किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.गुप्ता)
सदस्य

(बजरंग लाल शर्मा)
सदस्य